ई-मेल

संख्या- 6/2026/ 170/40-2026/001-20-1-2023

प्रेषक,

एस0वी0एस0 रंगाराव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग **लखनऊः दिनांक 22 जून, 2026**

विषयः अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन पुरस्कार देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ0प्र0 अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन प्रदान करने सम्बन्धी नियमावली,1976 सपठित संशोधन विज्ञप्ति संख्या-402/चालीस-10-(27)/2006, दिनांक 30 मार्च, 2010 तथा 'पुरस्कार की धनराशि' को संशोधित कर रु0 50,000/-

(पचास हजार मात्र) किये जाने सम्बन्धी संशोधन विज्ञप्ति संख्या-354/चालीस-2013-20(27)/2006, दिनांक 21 मार्च, 2013 में दी गई शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन हेतु प्राविधानित धनराशि रु0 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) के सापेक्ष प्रत्येक मण्डल को नियमानुसार 50 प्रतिशत अर्थात रु0 25,000/- (रु0 पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि, एक अन्तर्धार्मिक वैवाहिक दम्पत्ति के हिसाब से कुल 18 मण्डलों को रु0 4,50,000/- (रु0 चार लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि को स्वीकृत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यदि किसी मण्डल में दम्पत्ति के प्रकरण आते हैं तो तदनुसार समयबद्ध रूप से शासन के संज्ञान में लाया जाए। एक दम्पत्ति को रू0 50,000/- प्रोत्साहन स्वरूप दिये जाने का प्राविधान है।

2- प्रश्नगत प्रकरण में 01 दम्पत्ति को पुरसकार स्वरूप प्राविधानित धनराशि रू0 50,000/- की पचास प्रतिशत धनराशि रू0 25,000/- प्राथमिक रूप से प्रत्येक मण्डल हेतु स्वीकृत की जा रही है। यदि किसी मण्डल में उपरोक्त पुरस्कार हेतु 01 से अधिक दम्पत्ति के प्रकरण प्राप्त होते हैं तो शासन को शेष धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु समयान्तर्गत प्रस्ताव प्रेषित कर संज्ञान में लाया जाए।

3- उक्त धनराशि उ0प्र0 अन्तर्जातीय /अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन देने की नियमावली,1976 (यथा संशोधित) में दी गई शर्तों के अधीन स्वीकृत की जा रही है।

4- आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये। धनराशि का आहरण करने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र डी0डी0ओ0 शीट की प्रमाणित छाया प्रति के साथ लेखाधिकारी/लेखामिलान प्रकोष्ठ, कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद को प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5- संदर्भित शासनादेश राष्ट्रीय एकीकरण विभाग की वेबसाइट http://integrationupgov.in से भी प्राप्त किया जा सकता है।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,50,000 (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 053 **लेखा शीर्षक** 2070008001300 अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु प्रोत्साहन (नकद पुरस्कार) (राज्यांश 100 प्रतिशत) **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

एस0वी0एस रंगाराव

प्रमुख सचिव|

संख्या- /2026/ /40-2026/001 -20-1-2023-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

2-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3-प्रधान लेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

4-वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट एवं प्लानिंग) कार्यालय, महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा, भवन-15, नार्थ हिल रोड, इलाहाबाद।

5-समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6-वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।

7-गार्ड बुक/बजट सहायक।

आज्ञा से,

लाल बहादुर सिंह

अनु सचिव